

तब वृत्तायी की मयी और ऐसी वृत्तायी के बाद निम्न संख्यावली और अक्षरों का पता चला..... 16 per index II
 चला है अतः समग्र संवत्तर १ मकर १६

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza - Mainpur S Ramkar Survey Plot No - 716 Khata No - 151 Thana No - 24 Police Station - Dahanpur Plot Area - 3 Katha 9 Dhoor 40							

1. आवेदक को संव्यवहार विवरण दर्ज करें।

2. आवेदक को निम्न काल की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वहाँ की उनके बारे में उल्लेख हो।

3. आवेदक को दर्ज करने की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

यह प्रमाणित करता है कि तथ्युक संव्यवहारों और अवधारों को छोड़कर संव्यवहारों को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधारों का पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

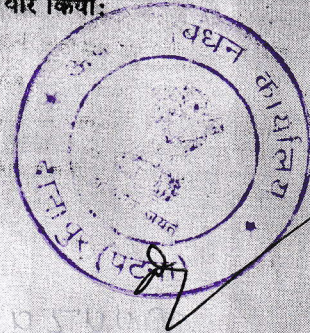
तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: Sub Registrar, Danapur

तारीख: 9/5/19



मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:—इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार लिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्बंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांस्फेकजनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा 46 के अधीन जो व्यक्ति (बाहरी) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रतियों देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहें, वे निम्न निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करने होंगी। धिक्कत कोस का भुगतान करने पर बाहरी और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेंगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अधीन तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद हुई गये संव्यवहारों और अवधारों की सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा हुई गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक: Sub Registrar, Danapur

जाप संख्या: 1636

दिनांक: 14/5/19

आवेदक श्री: Jagdish Parasad

का अवधार प्रमाण-पत्र द्वारा

II B I Bank Branch - Patna

का उनके पत्र संख्या

दिनांक

के प्रारंभ में अप्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

9/5/19

1. आवेदक को अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. आवेदक को निम्न ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। ब्याजों की उनके बारे में जांच हो।

3. आवेदक को उनके बड़े की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

यदि आवेदक प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़कर संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधारों का पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलासी का संस्थापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: Sub Registrar, Danapur

तारीख:



मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्सेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-50 के अधीन जो व्यक्ति (बाहरी) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवृत्ति देखना चाहते हैं अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं उन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवरुद्धों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उनके तलासी स्वयं करने होंगे। निबंधन कोस का भुगतान करने पर वहनी और अनुक्रमणियों उनके पास सामने रखी जायेंगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूंकि उसके बाद दिये गये संव्यवहारों और अवधारों को स्थापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिखा है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दिये गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उस संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधन: Sub Registrar, Danapur

ज्ञाप संख्या: 1643

दिनांक: 14/5/19

आवेदक श्री: Pallavi

का अवधार प्रमाण-पत्र द्वारा

IDBI Bank, Branch - Patna

का उनके पत्र संख्या

दिनांक

के प्रारंभ में अग्रसरित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,

9/5/19

क्र० सं०	(क) संस्थित का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० विवेक		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ग	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza - Mainpur Shamkar Survey Plot No - 716 Khatano - 151 Thana No - 24 Police Station - Danapur Plot Area - 0.5 डिसमी ल							

1. निम्नलिखित के अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. प्रमाण-पत्र की प्रतियाँ जिला कार्यालय की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बहरी की उनके बारे में उल्लेख हो।

3. प्रमाण-पत्र में बहरी की अधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

यह प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों की छोट उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलासी कर सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: Sub Registrar, Darapur

तारीख:



मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्दिष्ट दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा 40 के अधीन जो व्यक्ति (बाहरी) और अनुक्रमाधिकारियों (इन्डेन्स) की प्रतियों देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों उन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के उपधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करना होगी। निश्चित क्रम का भुगतान करने पर बाहरी और अनुक्रमाधिकारियों उनके पास भावने रखदी जायेंगे।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूंकि उसके बाद हुई गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधन Sub Registrar, Darapur

ज्ञाप संख्या

आवेदक श्री

का अवधार प्रमाण-पत्र द्वारा

IBBI Bank Branch - Patna

का उनके पत्र संख्या

दिनांक

के प्रसंग में अप्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,

9/5/19

1. निम्नलिखित के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. निम्नलिखित की दिशा ब्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। ब्याजों की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की प्रमाण-पत्र में ब्याज की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।
- यदि प्रमाणित करता है कि तत्पुंक्त संभव्यताओं और अवधारणों की छेड़ छूट संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संभव्यताओं और अवधारणों का पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): 
(पदनाम): U.D.C.

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): 
(पदनाम): U.D.C.

कार्यालय: Sub Registrar, Darrapour

तारीख: 9/5/19



मुख्य एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:—इस प्रमाण-पत्र में जो संभव्यताओं और अवधारणों दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्बंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वही दस्तावेजों से प्रमाणित संभव्यताओं (दानवैकल्य) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-46 के अधीन जो व्यक्ति (बाहरी) और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रतियों देखना चाहते हैं अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं किन्हीं निर्बंधित संपत्तियों के अवधारणों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करने होगी। यादवत कोस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेंगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूहे गये संभव्यताओं और अवधारणों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूहे गये ऐसे संभव्यताओं और अवधारणों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उस संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधन: Sub Registrar, Darrapour

जाप संख्या: 1632

आवेदक श्री: Bablu Kumar Saw दिनांक: 14/5/19

का अवधारण प्रमाण-पत्र द्वारा

IBBI Bank Branch - Patha

का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रयोग में अपेक्षित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,

9/5/19